न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 52/2018

सोहनलाल पुत्र भूरा जाति भील निवासी देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. सायरा पत्नि गंगाराम जाति बैरवा, निवासी शंभूनगर तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. प्रहलाद पुत्र सुखा जाति बैरवा
3. रामलाल पुत्र सुखा जाति बैरवा
4. भूरी पत्नि सुवालाल जाति नाई
5. कैलाश पुत्र सुवालाल जाति नाई
6. मिश्रीलाल पुत्र सुवालाल जाति नाई
7. गणेश पुत्र सुवालाल जाति नाई
8. चान्द पुत्री सुवालाल जाति नाई
9. संतरा पुत्री सुवालाल जाति नाई
10. राजस्थानसरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

--- अप्रार्थीगण

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट</u>

<u>आदेश</u>

दिनांक 22.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम देवगांव की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या नया पुराना 1113–985 के खसरा नम्बर 1063 रकबा 0.50 है. किस्म बारानी 1 एंव खसरा नम्बर 1083 रकबा 0.49 है. किस्म बारानी 1कुल किता 2 कुल रकबा 0.99 हैक्ट. दर्ज रिकॉर्ड है।उक्त वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थी के कब्जे, स्वामित्व , आधिपत्य में चली आ रही है। अप्रार्थीगण 1 से 9 उक्त वाद वर्णित आराजी के पडोसी है तथा मौके पर पडोसीयों में सीमा विवाद के कारण आपस मे झगडा फसाद होने का अंदेशा बना रहता है। उक्त आराजी के स्थाई सीमा चिन्ह व पत्थरगढी नहीं होने से आये दिन अप्रार्थीगण प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजी में घुसकर हाक चौक देते है मेड को तोड देते है तथा आराजी की फसल को नुकसान कर देते है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण पडोसीयों के मध्य विवाद होता रहता है। दिनांक 13.8.2018 को प्रार्थी उपरोक्त वाद वर्णित आराजी को हांकने गये तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा करने लगें। अतः प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ। मामला आवश्यक प्रकृति का होने से राजस्थान सरकार को नियमानुसार नोटिस नही दिया गया । अतः नोटिस से छूट दिया जाना आवश्यक है।प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की उभयपक्षकारान की उपस्थिति में स्थाई पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:36:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स. 3 व 6 को नोटिस की तामिली व्यक्तिगत रूप से हुई है। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिली अनुपस्थित रहें।अतः उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। ग्राम देवगांव पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 8.6.2018 को प्रस्तुत मोका पर्चा रिपोर्ट जो पत्रावली में है का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1063 व 1083 किता 2 कुल रकबा 0.99 है. पर सोहन पुत्र भूरा भील साकिन देह का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अतः प्रार्थी के वकील हाजिर। वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र, में अंकित कथनो को दोहराया। पेरोकार सरकार को भी प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी करने में आपत्ति नहीं है। पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नहीं होना बताया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की [redacted]गढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी वाके ग्राम देवगांव की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या नया पुराना 1113–985 कुल किता 2 कुल रकबा 0.99 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 22.11.2021 को केम्प देवगांव मजमे आम मे सुनाया गया।

केकड़ी जिला अजमेर

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी(अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:36:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner